FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

रोबिन वगै. बनाम रामपाल वगै.

किस्म मुकदमा :—प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. एवं सन 36/19 व 2019/00043

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
31.01.2020	पत्रावली पे ा हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही आने पर आज सरे इजलास बार—बार रूक—रूक कर आवाजे लगाई गई। उसके बावजूद उपस्थित नहीं आये अतः इनके विरूद्व एक्स पार्टी आदे ा दिये जाते है। और अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के विरूद्व एक्स—पार्टी आदे ा के साथ अस्थाई निश्ेधाज्ञा को मूल दावे के निर्णय तक स्थाई करने का निवेदन किया जिस पर राजपेरोकार ने कोई आपत्ति नहीं की अतः वादगत भूमि में प्रार्थी के हक—हिस्से तक की भूमि के संबध में पूर्व में जारी स्थगन आदे ा को मूल वाद में फैसले तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली फै ाल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	